दिनांक 22.01.2026 को बीज एवं प्रक्षेत्र निदेशालय, बि.कृ.वि., सबौर में वाह्य व्यक्तियों से प्राप्त शिकायत निवारण हेतु समिति (निदेशक प्रशासन, बि.कृ.वि., सबौर के कार्यालय आदेश संख्या 290 दिनांक 22.10.2025 द्वारा गठित) की आयोजित बैठक का कार्यवाही प्रतिवेदन :

उपस्थिति :

1. डा. फिजा अहमद, निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, बि.कृ.वि., सबौर – अध्यक्ष
2. डा. मिजानुल हक, कुलसचिव, बि.कृ.वि., सबौर – सदस्य
3. श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा, नियंत्रक, बि.कृ.महा., सबौर – सदस्य
4. डा. संजय कुमार, अध्यक्ष (सस्य विज्ञान), बि.कृ.महा., सबौर – सदस्य
5. डा. मुकेश कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, प्रक्षेत्र, बि.कृ.महा., सबौर – सदस्य सचिव

बैठक की शुरूआत निदेशक बीज एवं बीज प्रक्षेत्र, बि.कृ.वि., सबौर–सह– अध्यक्ष द्वारा सभी समिति सदस्यों तथा उपस्थिति शिकायतकर्ताओं के स्वागत से किया गया। उनके द्वारा पूर्व की बैठकों के संदर्भ में अवगत कराते हुये आगे की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। जिसका ब्यौरा निम्नवत् है :–

1. निदेशक प्रशासन, बि.कृ.वि., सबौर के कार्यालय आदेश संख्या 290 दिनांक 22.10.2025 द्वारा राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन (राजभवन) के माध्यम से प्राप्त तीन शपथ पत्र, जिसमें शिकायतकर्ता श्री हरेराम राय, डा. दीपिका तथा श्री राजीव रंजन द्वारा समर्पित किये गये है, के आलोक में सुनवाई/निराकरण हेतु गठित समिति की प्रथम बैठक दिनांक 27.11.2025 को आयोजित की गई। बैठक में समिति द्वारा मामलें की निष्पक्ष एवं पारदर्शी सुनवाई हेतु तीनों शिकायतकर्ताओं को दिनांक 08.01.2026 को समिति के समक्ष सशरीर उपस्थित होने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था। किन्तु दिनांक 08.01.2026 को समिति के समक्ष तीनों शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुये। तदोपरांत, इस बैठक में तीनों शिकायतकर्ताओं की अनुपस्थिति के आलोक में शिकायतकताओं को अगली बैठक की तिथि पुनः दिनांक 22.01.2026 को निर्धारित करते हुये उपस्थित होने हेतु पुनश्चः पत्र के माध्यम से अनुरोध करने निर्णय लिया गया।
2. दिनांक 22.01.2026 को आयोजित किये गये बैठक में तीनों शिकायताकताओं में से मात्र एक शिकायतकर्ता श्री हरेराम राय उपस्थिति हुये। श्री राजीव रंजन दिनांक 08.01.2026 की तरह दिनांक 22.01.2026 को निर्धारित दूसरी बैठक में असंगत कारणों का जिक करते हुये समिति के समक्ष उपस्थिति नहीं हुये। डा. दीपिका दिनांक 22.01.2026 को भी बैठक में उपस्थित नहीं हुई। डा. दीपिका का ईमेल दिनांक 22.01.2026 को आयोजित दूसरी बैठक के उपरांत सांयकाल में प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया है कि वे पारिवारिक कारणों से बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है।

श्री हरेराम राय द्वारा प्रक्षेत्र, बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर के श्रमिकों के संदर्भ में 12 बिन्दुओं पर समर्पित समस्याओं पर विचार–विमर्श किया गया, जो निम्नवत् है :–

क्र.सं.	समस्या	समिति की अनुशंसा
1	आकस्मिक श्रमिकों का नियुक्ति विज्ञापन निकालकर शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र सीमा स्थिल करते हुये नियुक्त किया जाय।	समिति द्वारा आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति माननीय न्यायालय के पूर्व के आदेश के आलोक में 65 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत के तहत की जा चुकी है।
2	जिन आकस्मिक श्रमिकों का उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गया है, उसको उचित मुआवजा एवं पेंशन सुविधा दी जाय।	समिति द्वारा 60 वर्ष से अधिक के श्रमिकों के लिए मुआवजा की मांग को न्यायोचित माना गया किन्तु 60 वर्ष से अधिक आकस्मिक श्रमिकों के मुआवजा हेतु वर्तमान में कोई प्रावधान विश्वविद्यालय में नहीं है, जिसपर समिति द्वारा आकस्मिक श्रमिकों के 60 वर्ष उपरांत मुआवजा के संदर्भ में दिशानिर्देश/गाईडलाईन की मांग बिहार सरकार/कृषि विभाग/सक्षम प्राधिकार से करने की अनुशंसा किया गया।

3	मौसमिक श्रमिकों को साल के प्रत्येक माह में कार्यदिवस 18 दिन दिया जाता है। उस कार्य दिवस को 26 दिन किया जाय।	26 दिन कार्यदिवस करने के मामले पर समिति द्वारा श्री हरे राम राय जी को अवगत कराया गया कि प्रक्षेत्र का कार्य पूर्णतः कृषि आधारित है, जिसके तहत् खरीफ, रबी एवं गर्मा मौसम में कार्यउपलब्धत अनुसार कार्य श्रमिकों को दिया जाता है। इसप्रकार पूरे वर्ष कार्य की उपलब्धता नहीं होती है, ऐसे में प्रक्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए 26 दिन कार्यदिवस को पूर्णतः लागू करना संभव नहीं है।
4	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में विभिन्न विभाग में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों को वरियता सूची अविलम्ब बनाया जाय।	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के प्रक्षेत्र अन्तर्गत कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों को वरियता सूची पहले से लागू है।
5	आकस्मिक श्रमिकों पर चल रहे मुकदमा को सूलहनामा कर समाप्त किया जाय।	आकस्मिक श्रमिकों के मुकदमा सुलहनामा के सन्दर्भ में मामला न्यायालय में प्रकियाधीन होने के कारण समिति द्वारा इसपर विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि श्रमिकों को संबंधित वाद को विश्वविद्यालय के समक्ष अलग–अलग वादवार सुलहनामा आवेदन सम्पर्ण के आधार पर विश्वविद्यालय के संबंधित शाखा के स्तर से विचारोंपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से समाप्ति पर विचार करने कि अनुशंसा समिति द्वारा किया गया।
6	पच्चीस तीस वर्ष से कार्य कर रहे तमाम श्रमिकों को अतिकुशल मजदूर का दर्जा देते हुये मजदूरी का भुगतान किया जाय।	श्रमिकों के प्रोन्नति के सन्दर्भ में समिति द्वारा हरेराम राय जी को अवगत कराया गया कि प्रक्षेत्र के आकस्मिक श्रमिकों को उनके कार्यअनुसार प्रोन्नति दिया जा चुका है।
7	आकस्मिक श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण समिति का गठन शीघ्र किया जाय।	समिति द्वारा श्रम कल्याण समिति का गठन विश्वविद्यालय अथवा प्रक्षेत्र के वरीय पदाधिकारी को सम्मिलित करते हुये गठित करने की अनुशंसा किया गया।
8	श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा शीघ्र कराया जाय।	स्वास्थ्य बीमा के लिए आकस्मिक श्रमिकों के लिए कोई प्रावधान लागू नहीं है। स्वास्थ्य सेवा हेतु श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु निदेशित किया गया है, जिसके तहत् 5 लाख तक का ईलाज कराया जा सकता है।
9	मिथिला कन्ट्रेकशन एवं स्तयसाई कम्पनी सुरक्षा गार्ड में जितने मजदूर कार्य कर रहे है, उसे विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ करते हुये ठेकेदारी प्रथा समाप्त किया जाय।	कार्य कराने हेतु आवश्यकतानुसार कार्यबल के लिए वाह्य एजेंसियों के माध्यम से कुशल/अद्धकुशल/कुशल/अतिकुशल नियोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा लागू की गई है।
10	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में मासिक श्रमिकों के 110 पद रिक्त है। रिक्त पदों पर आकस्मिक श्रमिकों को शीघ्र नियुक्त किया जाय।	सभी खाली पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालय प्रयासरत है।
11	आकस्मिक श्रमिक 1. टेमन यादव 2. सियाराम पाल 3. ब्रहमदेव पंडित 4. दीपनारायण राय 5. लखन गोप बैठाये गये आकस्मिक श्रमिकों को अविलम्ब कार्य पर वापस लिया जाय।	इन श्रमिकों को कृषि कार्य करने में शारिरीक अक्षमता के साथ–साथ आयु 60 वर्ष से ज्यादा होने के कारण कार्य नहीं दिया जाता है।
12	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में विभिन्न विभागों में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों को प्रत्येक माह के 10 तारीख तक नियमित वेतन भुगतान किया जाय।	प्रक्षेत्र में राशि उपलब्धता होने पर प्रत्येक माह के 10वी तारीख तक नियमित वेतन भुगतान करने की अनुशंसा समिति द्वारा किया गया।

3	मौसमिक श्रमिकों को साल के प्रत्येक माह में कार्यदिवस 18 दिन दिया जाता है। उस कार्य दिवस को 26 दिन किया जाय।	26 दिन कार्यदिवस करने के मामले पर समिति द्वारा श्री हरे राम राय जी को अवगत कराया गया कि प्रक्षेत्र का कार्य पूर्णतः कृषि आधारित है, जिसके तहत् खरीफ, रबी एवं गर्मा मौसम में कार्यउपलब्धत अनुसार कार्य श्रमिकों को दिया जाता है। इसप्रकार पूरे वर्ष कार्य की उपलब्धता नहीं होती है, ऐसे में प्रक्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए 26 दिन कार्यदिवस को पूर्णतः लागू करना संभव नहीं है।
4	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में विभिन्न विभाग में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों को वरियता सूची अविलम्ब बनाया जाय।	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के प्रक्षेत्र अन्तर्गत कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों को वरियता सूची पहले से लागू है।
5	आकस्मिक श्रमिकों पर चल रहे मुकदमा को सूलहनामा कर समाप्त किया जाय।	आकस्मिक श्रमिकों के मुकदमा सुलहनामा के सन्दर्भ में मामला न्यायालय में प्रकियाधीन होने के कारण समिति द्वारा इसपर विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि श्रमिकों को संबंधित वाद को विश्वविद्यालय के समक्ष अलग–अलग वादवार सुलहनामा आवेदन सम्पर्ण के आधार पर विश्वविद्यालय के संबंधित शाखा के स्तर से विचारोंपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से समाप्ति पर विचार करने कि अनुशंसा समिति द्वारा किया गया।
6	पच्चीस तीस वर्ष से कार्य कर रहे तमाम श्रमिकों को अतिकुशल मजदूर का दर्जा देते हुये मजदूरी का भुगतान किया जाय।	श्रमिकों के प्रोन्नति के सन्दर्भ में समिति द्वारा हरेराम राय जी को अवगत कराया गया कि प्रक्षेत्र के आकस्मिक श्रमिकों को उनके कार्यअनुसार प्रोन्नति दिया जा चुका है।
7	आकस्मिक श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण समिति का गठन शीघ्र किया जाय।	समिति द्वारा श्रम कल्याण समिति का गठन विश्वविद्यालय अथवा प्रक्षेत्र के वरीय पदाधिकारी को सम्मिलित करते हुये गठित करने की अनुशंसा किया गया।
8	श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा शीघ्र कराया जाय।	स्वास्थ्य बीमा के लिए आकस्मिक श्रमिकों के लिए कोई प्रावधान लागू नहीं है। स्वास्थ्य सेवा हेतु श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु निदेशित किया गया है, जिसके तहत् 5 लाख तक का ईलाज कराया जा सकता है।
9	मिथिला कन्ट्रेकशन एवं स्तयसाई कम्पनी सुरक्षा गार्ड में जितने मजदूर कार्य कर रहे है, उसे विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ करते हुये ठेकेदारी प्रथा समाप्त किया जाय।	कार्य कराने हेतु आवश्यकतानुसार कार्यबल के लिए वाह्य एजेंसियों के माध्यम से कुशल/अद्धकुशल/कुशल/अतिकुशल नियोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा लागू की गई है।
10	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में मासिक श्रमिकों के 110 पद रिक्त है। रिक्त पदों पर आकस्मिक श्रमिकों को शीघ्र नियुक्त किया जाय।	सभी खाली पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालय प्रयासरत है।
1	आकस्मिक श्रमिक 1. टेमन यादव 2. सियाराम पाल 3. ब्रहमदेव पंडित 4. दीपनारायण राय 5. लखन गोप बैठाये गये आकस्मिक श्रमिकों को अविलम्ब कार्य पर वापस लिया जाय।	इन श्रमिकों को कृषि कार्य करने में शारिरीक अक्षमता के साथ–साथ आयु 60 वर्ष से ज्यादा होने के कारण कार्य नहीं दिया जाता है।
2	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में विभिन्न विभागों में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों को प्रत्येक माह के 10 तारीख तक नियमित वेतन भुगतान किया जाय।	प्रक्षेत्र में राशि उपलब्धता होने पर प्रत्येक माह के 10वी तारीख तक नियमित वेतन भुगतान करने की अनुशंसा समिति द्वारा किया गया।

3. समिति द्वारा अन्य दोनों शिकायतकताओं श्री राजीव रंजन तथा डा. दीपिका से दो–दो अनुरोध करने के बाद भी समिति के समक्ष जानबूझकर अनुपस्थिति के आलोक में इनके द्वारा समर्पित मामले को अनावश्यक मानते हुये निस्तारित करने की अनुशंसा किया गया। इनके अनुपस्थिति को देखते हुये समिति द्वारा आगे से इनके द्वारा किये जा रहे शिकायतों को संज्ञान में नहीं लेने की अनुशंसा किया गया।
4. इस कार्यवाही प्रतिवेदन संबंधित निदेशालय/लोकभवन, बिहार, पटना को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे जाने की अनुशंसा समिति द्वारा किया गया।

22/01/26
(मुकेश कुमार)
सहायक प्राध्यापक–सह–प्रभारी
पदाधिकारी, प्रक्षेत्र
बि.कृ.महा., सबौर

Sanjay Kumar 22.01.2026
(संजय कुमार)
अध्यक्ष (सस्य विज्ञान),
बि.कृ.महा., सबौर

22/1/26
(बिरेन्द्र कुमार सिन्हा)
नियंत्रक,
बि.कृ.वि., सबौर

22/01/26
(मिजानुल हक)
कुलसचिव, बि.कृ.वि., सबौर

22.1.26
(फिजा अहमद)
निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र,
बि.कृ.वि., सबौर